

ब्रांडेड उत्पादों के बिलों को भी 'बलि लाओ इनाम पाओ' योजना में कथि जाएगा शामिल

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को उत्तराखंड राज्य कर आयुक्त इकबाल अहमद ने बताया कि 'बलि लाओ इनाम पाओ' योजना को नवंबर 2023 तक बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार ने नॉन ब्रांडेड बिलों की शर्त को खत्म कर दिया है। अब ब्रांडेड उत्पादों के बिलों को भी योजना में शामिल कथि जाएगा।

प्रमुख बदि

- वदिति है कि गिराहकों को जीएसटी बलि लेने के लयि प्रोत्साहति करने के उद्देश्य से 'बलि लाओ इनाम पाओ' योजना को एक सतिंबर 2022 में शुरू की गई थी।
- अभी तक योजना में नॉन ब्रांडेड कपड़े, मठिइयॉ, रेस्टोरेंट, ड्राई फ्रूट, ब्यूटीपार्लर, लॉन्ड्री सेवाओं व उत्पादों के जीएसटी बलि शामिल कथि जा रहे थे, लेकिन अब ब्रांडेड समेत सभी सामान की खरीद के जीएसटी बिलों से योजना में इनाम पाने का मौका मलिगा। योजना का मेगा लकी ड्रॉ नवंबर 2023 में नकाला जाएगा।
- राज्य कर आयुक्त इकबाल अहमद ने बताया कि यदि उपभोक्ता ब्रांडेड कंपनी के सामान के अलावा घर की जरूरत के सामान भी खरीदता है तो जीएसटी बलि को BLIP एप पर अपलोड कर सकता है। उसके बाद लकी ड्रॉ से हर महीने 1500 वजिताओं को स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच और इयरफोन इनाम में दयि जाएंगे।
- एक सतिंबर 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक अपलोड कथि बिलों पर मेगा लकी ड्रॉ नकाले जाएंगे, जनिमें वजिताओं को कार, मोटरसाइकलि, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी समेत कई आकर्षक इनाम दयि जाएंगे।
- ऑनलाइन खरीद से प्राप्त जीएसटी बिलों को इस योजना में शामिल नहीं कथि जाएगा। सीधे वकिरेता से वस्तुओं, सेवाओं के बिलों को योजना में शामिल होंगे। इन बिलों को BLIP एप पर अपलोड करना होगा। अपलोड कथि गए प्रत्येक अपलोड बलि पर उपभोक्ताओं को प्वाइंट दयि जाएंगे, जो पुरस्कार, कैश बैक, डिस्काउंट कूपन के रूप में होंगे।
- योजना में ऐसे जीएसटी पंजीकृत व्यापारयिों को भी पुरस्कृत कथि जाएगा, जनिंके प्रतष्ठितान से सर्वाधिक बलि अपलोड कथि जाएंगे।